



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21052026-272770
CG-MH-E-21052026-272770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2491]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2491]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 12 मई, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 04/02/2026 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 2583(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एंव रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, "इटारसी-नागपुर चौथी लाइन (297 किलोमीटर)" "विशेष रेलवे परियोजना" की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले एवं मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

अ.सं.	सक्षमप्राधिकारी	तहसील
1	उप-विभागीय अधिकारी तथा भू-संपादन अधिकारी, नागपुर (शहर)	नागपुर (शहर)
2	उप-विभागीय अधिकारी तथा भू-संपादन अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण)	नागपुर (ग्रामीण)
3	उप-विभागीय अधिकारी तथा भू-संपादन अधिकारी, सावनेर	सावनेर
4	उप-विभागीय अधिकारी तथा भू-संपादन अधिकारी, काटोल	नरखेड व काटोल
5	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुलताई	अनुविभाग मुलताई
6	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), आमला	अनुविभाग आमला
7	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैतूल	अनुविभाग बैतूल
8	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शाहपुर	अनुविभाग शाहपुर

[फा. सं. G197/Itarsi-NGP 4th Line/7A/Corrigendum]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th May, 2026

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 477 DATED 27/01/2026, THE SCHEDULE MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2583(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Itarsi-Nagpur 4th Line (297 Km.)**” in Nagpur District of Maharashtra State and Betul District of Madhya Pradesh State. mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent Authority	Tehsil
1	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (City)	Nagpur (City)
2	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Rural)	Nagpur (Rural)
3	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Sawaner	Sawaner
4	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Katol	Narkhed and Katol
5	Sub-Divisional Officer (Revenue), Multai	Sub-division Multai

S.N.	Competent Authority	Tehsil
6	Sub-Divisional Officer (Revenue), Amla	Sub-division Amla
7	Sub-Divisional Officer (Revenue), Betul	Sub-division Betul
8	Sub-Divisional Officer (Revenue), Shahpur	Sub-division Shahpur

[F. No. G197/Itarsi-NGP 4th Line/7A/Corrigendum]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)